1021
16/2/13

[redacted] विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड–2 संख्या–21

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 27 जून, 1995 ई०

2. क्या यह बात सही है कि जिस प्रखंड में बालिका उच्च विद्यालय नहीं है, वहाँ प्रोजेक्ट विद्यालय खोलने का सरकारी प्रावधान है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रोजेक्ट विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रभारी मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है।

3. तत्काल राशि के अभाव में नये प्रखंडों में नया विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है।

पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने का औचित्य

*1905. **श्री प्रयाग चौधरी** : 1. क्या यह बात सही है कि निगरानी विभाग के तत्कालीन आई० जी० श्री कैलाश पति ने पत्र संख्या-100/76, दिनांक 9 अगस्त 83 द्वारा श्री डी० के० वर्मा, श्री एम० बी० सहाय एवं श्री डी० के० सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी;

2. क्या यह बात सही है कि पत्र प्राप्ति के बाद श्री एम० सहाय. खनन् अभिकर्त्ता निगम से त्याग पत्र देकर भाग गए तथा श्री डी० के० वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई कर सेवा से हटा दिया गया, परन्तु श्री डी० के० सिंह के विरूद्ध आज तक निगरानी विभाग द्वारा लगाए गए आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं कर श्री डी० के० सिंह को इस आरोप के बावजूद विपणन के पद पर प्रोन्नति दे दी गई है।

3. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसका क्या औचित्य है।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. वस्तु-स्थिति यह है कि श्री एम० बी० सहाय वर्ष 1976 में ही निगम छोड़कर चले गये थे जबकि निगरानी विभाग का पत्र अगस्त, 1983 का था। श्री डी० के० वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के पश्चात् उन्हें सेवा से बरखास्त कर दिया गया। जहाँ तक श्री डी० के० सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप का प्रश्न है, तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने जाँचोपरान्त इन्हें निर्दोष पाया तथा निगम के निदेशक पर्षद् की 36वीं बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया। जहाँ तक डी० के० सिंह को मुख्य विपणन के पद पर प्रोन्नति देने का प्रश्न है, लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा गठित उच्च स्तरीय चयन समिति से 12-4-84 के प्रभाव से मुख्य विपणन के पद पर प्रोन्नति देने से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् निगम द्वारा प्रोन्नति प्रदान की गई है।

3. खण्ड 2 से स्पष्ट है कि श्री सिंह को विधिवत् प्रोन्नति प्रदान की गई है।

वेतन का भुगतान

*1907. **श्री बेरमार्ड मींज** : क्या मंत्री, मानव संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 1984-85 में खोले गए 300 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों में से झारखंड क्षेत्र में खोल गये 87 विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान गत दस वर्षों से लम्बित है;

2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय